प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 22.12.2025

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 01.10.2025 को थाना अंकुर विहार पर आवेदक श्री निखिल सिंह पुत्र स्व0 सच्चे सिंह निवासी गढ़ी कटैय्या लोनी थाना अंकुर विहार गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि प्रार्थी की माता ने अपनी सच्चे सिंह मार्किट स्थित 04 दुकानों को इरशाद अहमद को किराये पर दिया हुआ था परन्तु किरायेदार इरशाद अहमद द्वारा फर्जी किरायानामा बनवाकर उक्त दुकानों पर अवैध कब्जा कर लेना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर सुसंगत धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 22.12.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इरशाद अहमद पुत्र स्व0 मतीउर्रहमान निवासी बैंक विहार त्यागी मार्केट लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 53 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि मैंने लालच में आकर दुकानों पर कब्जा करने के लिए साजिश के तहत धोखाधडी से फर्जी किरायानामा तैयार करा लिया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इरशाद अहमद पुत्र स्व0 मतीउर्रहमान निवासी बैंक विहार त्यागी मार्केट लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 53 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर धोखाधडी व मारपीट के 02 अभियोग पंजीकृत हैं । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम ।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 18.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त अंकित सैनी द्वारा मेरे साथ बार-बार गलत काम करना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर घटना पुरानी होने के कारण धारा 376(2)N/506 भादवि व 3(2)5 SC/ST ACT के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात् आज दिनांक 22.12.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अंकित सैनी पुत्र राजकुमार सैनी निवासी ग्राम मौहम्मद सादिकपुर जनपद सम्भल (उ0प्र0) हाल निवासी प्रेमनगर लोनी थाना लोनी जिला गाजियाबाद को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं करावल नगर दिल्ली के एक हास्पिटल में काम करता हूँ वादिया वहाँ पर अपना इलाज कराने आती थी । मैंने वादिया से इन्स्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती कर ली थी तथा वर्ष 2024 में मैंने वादिया के साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित सैनी पुत्र राजकुमार सैनी निवासी ग्राम मौहम्मद सादिकपुर जनपद सम्भल (उ0प्र0) हाल निवासी प्रेमनगर लोनी थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा जुआ खेलने वाले 12 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 52 ताश के पत्ते व कुल 3,52,060/- रुपये बरामद ।

आज दिनांक 22.12.2025 को स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर संगठित गिरोह बनाकर मकान में अवैध रुप से जुआ खेल रहे 12 अभियुक्तों 1. फैजान पुत्र फय्याज निवासी अखाडा वाला 30 फुट रोड अशोक विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद 2. रवि कुमार पुत्र प्रकाश चंद निवासी जाटव मौहल्ला लोनी थाना लोनी गाजियाबाद 3. शाहआलम पुत्र अजीज निवासी गली नंबर 3 रशीद गेट लोनी थाना लोनी गाजियाबाद 4. दानिश पुत्र जमशेद निवासी गली नंबर 3 रशीद गेट लोनी थाना लोनी गाजियाबाद 5. वाजिद पुत्र जाकिर निवासी गोरी पट्टी लोनी थाना लोनी गाजियाबाद 6. शमीम पुत्र उमरदीन अखाडा वाला 30 फुट रोड अशोक विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद 7.दानिश पुत्र निजामुदीन निवासी इरफ़ान दफ्तर के पास मुस्तफाबाद लोनी थाना लोनी गाजियाबाद 8.आसिफ पुत्र यासीन निवासी गली नंबर 2 रशीद गेट लोनी थाना लोनी गाजियाबाद 9. प्रवेन्द्र पुत्र महावीर निवासी गढ़ी जस्सी थाना लोनी गाजियाबाद 10. आरिफ पुत्र जाफर निवासी अखाडा वाला 30 फुट रोड अशोक विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद 11. शफीक पुत्र हबीब निवासी जाकिर कॉलोनी लोनी थाना लोनी गाजियाबाद 12. इमरान पुत्र गफ्फार निवासी बाबू होटल के पास अशोक विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते, माल फड से 51,740/- रूपये नगद व जमा तलाशी से 3,00,320/- रुपये नगद (कुल 3,52,060/- रुपये) बरामद हुये। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा-112 बीएनएस व 3/4 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग गिरोह बनाकर छिपकर जुआ खेलकर आर्थिक लाभ अर्जित करते हैं। आज भी हम छुपकर बन्द मकान में जुआ खेल रहे थे कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. फैजान पुत्र फय्याज निवासी अखाडा वाला 30 फुट रोड अशोक विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।
2. रवि कुमार पुत्र प्रकाश चंद निवासी जाटव मौहल्ला लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 43 वर्ष।
3. शाहआलम पुत्र अजीज निवासी गली नंबर 3 रशीद गेट लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।
4. दानिश पुत्र जमशेद निवासी गली नंबर 3 रशीद गेट लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।
5. वाजिद पुत्र जाकिर निवासी गोरी पट्टी लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।
6. शमीम पुत्र उमरदीन अखाडा वाला 30 फुट रोड अशोक विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष।
7.दानिश पुत्र निजामुदीन निवासी इरफ़ान दफ्तर के पास मुस्तफाबाद लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।
8.आसिफ पुत्र यासीन निवासी गली नंबर 2 रशीद गेट लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।
9. प्रवेन्द्र पुत्र महावीर निवासी गढ़ी जस्सी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।
10. आरिफ पुत्र जाफर निवासी अखाडा वाला 30 फुट रोड अशोक विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।
11. शफीक पुत्र हबीब निवासी जाकिर कॉलोनी लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष।
12. इमरान पुत्र गफ्फार निवासी बाबू होटल के पास अशोक विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से 52 ताश के पत्ते, माल फड से 51,740/- रूपये नगद व जमा तलाशी से 3,00,320/- रुपये नगद (कुल 3,52,060/- रुपये) बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी पर जुआ अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना लोनी पुलिस टीम।

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 03 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 22.12.2025 को स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों 1. सुहैल पुत्र आस मौहम्मद निवासी टोली मौहल्ला दरी फैक्ट्री के पास लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष 2. जहांगीर बेग पुत्र खुर्शीद बेग निवासी गौरी पट्टी जिल्ला मस्जिद के पास लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष को रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 03 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम चोरी-छिपे बाहर से गांजा लेकर आते हैं तथा आसपास के क्षेत्र में घूम फिर कर अवैध गांजा की पुडिया बनाकर बिक्री करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. सुहैल पुत्र आस मौहम्मद निवासी टोली मौहल्ला दरी फैक्ट्री के पास लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।
2. जहांगीर बेग पुत्र खुर्शीद बेग निवासी गौरी पट्टी जिल्ला मस्जिद के पास लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से कुल 03 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना लोनी पुलिस टीम।